BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1096 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Chandra Shekhar Gupta .... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ....Respondent(s)

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	**Reply Affidavit on behalf of Meerut Development Authority** i.e, Respondent No. 3 in compliance to Hon'ble NGT, PB order dated 30.09.2024, in OA No. 1096/2024.	1-14
2.	**Annexure- 1** Copy of Show Cause Notice by Meerut Development Authority dated 27.12.2019.	15-18
3.	**Annexure- 2** Copy of Follow up notices by Meerut Development Authority dated 08.01.2020.	19-20
4.	**Annexure- 3** Copy of Demolition orders by Meerut Development Authority dated 04.11.2020.	21
5.	**Annexure-4** Copy of Order dated 07.04.2021 by Commissioner, Meerut Division.	22-23
6.	**Annexure-5** Copy of Rejection Letter by Meerut Development Authority for regularization of unauthorized construction dated 07.02.2022.	24
7.	**Annexure-6** Copy of fresh Demolition orders by Meerut Development Authority after rejection of regularization application	25

	for unauthorized construction dated 15.3.2022	
8.	**Annexure-7** Copy order of Hon'ble Allahabad High Court in Writ – C- No. 9629 of 2022 dated 11.04.2022.	26-27
9.	**Annexure-8** Copy of Order dated 02.05.2022 by Commissioner, Meerut Division.	28-29
10.	**Annexure-9** Copy order of Hon'ble Allahabad High Court in Writ – C- No. 16269 of 2022 dated 11.04.2022.	30
11.	**Annexure-10** Copy of Revision order by Special Secretary, Department of Housing and Urban Planning dated 24.05.2023.	31-35
12.	**Annexure-11** Copy order of Hon'ble Allahabad High Court in Writ – C- No. 20295 of 2022 dated 16.06.2023.	36-43
13.	**Annexure-12** Copy of fresh Demolition orders by Meerut Development Authority dated 19.09.2024.	44-45
14.	**Annexure-13** Copy of Geo tagged pictures from the demolition action at Jagannath Puri by Meerut Development Authority dated 04.01.2025.	46-49
15.	**Annexure- 14** Copy of Geo tagged pictures of Park at Mangatpuri Colony, Meerut dated 04.01.2025.	50-57
16.	**Annexure-13** Vakalatnama	58

Place: New Delhi
Dated: 31.12.2024

Filed by

Srinivas Vishven

Adv. Srinivas Vishven
J-29, First Floor,
Jangpura Extension,
New Delhi-110048
+91 9415149959
srinivas@svlawchambers.in

(On behalf of Meerut Development Authority)

NOTARY
Rohitash Singh Goley
MEERUT (U.P.)
Reg. No.-8521
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1096 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Chandra Shekhar Gupta ... Applicant

Vs.

State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondents

<u>ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF</u>

<u>MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY</u>

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

I, Abhishek Pandey S/o Shri Ramesh Chandra Pandey, aged about 33 Years, presently holding the post of Vice Chairman, Meerut Development Authority, having my office at Meerut Development Authority, Meerut, Uttar Pradesh Meerut Development Authority, Meerut, the deponent, do hereby solemnly affirm and state as under:

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

1. PRELIMINARY SUBMISSIONS

1.1 That the deponent is the Vice Chairman of the Meerut Development Authority (hereinafter referred to as the "**MDA**"), a statutory body constituted under the provisions of the **Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973** (hereinafter referred to as the "Act of 1973").

1.2 That the Deponent is well conversant with the facts and circumstances of this instant case and is competent to file the present affidavit on behalf of the answering Respondent.

1.3 That the deponent has read and understood the contents of the present Affidavit. The averments made in the Original Application which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

1.4 That it is respectfully submitted that this Affidavit is being filed in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal in its order dated **30.09.2024**, wherein the MDA was directed to scrutinize allegations of encroachment on two public

NOTARY
Rohitash Singh Goley
MEERUT (U.P.)
Reg. No.-8521
GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ.

parks and implement necessary remedial actions to address any violations.

1.5 That the answering Respondent holds the Hon'ble Tribunal's directions in the highest regard and is duty-bound to fulfil its statutory obligations in accordance with law.

1.6 That the parks under consideration are:

- **Public Park in Jagannath Puri**, situated behind Bahadur Motor Transport Nagar, Meerut, Uttar Pradesh. (hereinafter referred to as "**Park 1**")
- **Public Park in Mangatpuram Colony**, located behind Gopal Gaushala, Delhi Road, Meerut, Uttar Pradesh. (hereinafter referred to as "**Park 2**")

1.7 That this report outlines the measures taken by the MDA to comply with the directives of this Hon'ble Tribunal, including detailed site investigations, legal actions, and a comprehensive plan for restoration and monitoring of the affected public spaces.

NOTARY
Rohitash Singh Goley
MEERUT (U.P.)
Reg. No.-8521
GOVT. OF INDIA

1.8 That Public parks are essential for maintaining ecological balance, providing recreational opportunities, and enhancing the quality of urban life. This report highlights the significance of protecting

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

such spaces, while affirming the MDA's commitment to uphold its statutory obligations under the **Act of 1973**.

1.9. That MDA reiterates its resolve to ensure the preservation of urban green spaces, which are indispensable for maintaining environmental sustainability and enhancing the quality of life of residents.

2. ROLE OF MDA

2.1. That the MDA is a statutory body established under the Act of 1973, tasked with ensuring systematic and sustainable urban growth, regulating land use, and protecting public lands, including parks and green belts.

2.2. That Public parks are integral to urban ecosystems, serving critical roles in maintaining ecological balance, providing recreational opportunities, and mitigating the adverse impacts of urbanization. The successive Master Plan prepared by the MDA for Meerut earmarks specific lands for public park use, strictly prohibiting encroachments or unauthorized constructions.

NOTARY Rohitash Singh Goley MEERUT (U.P.) Reg. No. 8521 GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ

2.3. That encroachments on such designated lands constitute violations of zoning laws, contraventions of the Master Plan, and breaches of the statutory mandate under the Act of 1973. Such violations undermine urban planning objectives and adversely affect the public interest.

2.4. That in this instant case, allegations were raised regarding encroachments on two public parks. The MDA was directed to scrutinize the allegations in the instant case, ensure compliance with zoning regulations, and take remedial measures as required by law.

3. DETAILS OF THE PARKS

3.1. **Jagannath Puri Public Park ("Park 1"):**

- **Location:** Plot No. 03, Khasra Nos. 1938/1, 1938/2, 1934/1, and 1931/1, as per Regularized Map.
- **Zoning:** Reserved exclusively for public park use under the successive Master Plan for Meerut.
- **Findings:** Unauthorized constructions were identified on the designated park area, in violation of zoning regulations and approved land use norms.

NOTARY Rohitash Singh Goley MEERUT (U.P.) Reg. No. 8521 GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

3.2. **Mangatpuram Colony Public Park ("Park 2"):**

- **Location:** Near Gopal Gaushala, Delhi Road, Meerut.
- **Zoning:** Reserved as park under Map No. 146 dated **02.05.1989**.
- **Findings:** Allegations of encroachment were raised, which were subsequently found to be unsubstantiated upon detailed verification.

4. TIMELINE OF ACTIONS BY MDA

I. **December 27, 2019**: MDA issued show-cause notices under Sections 26, 27, and 28 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, directing cessation of construction and seeking explanations from the respondents. Simultaneously, a notice was issued to the Station Officer, TP Nagar, Meerut, to ensure compliance. (**Annexure-1**)

II. **January 8, 2020, and October 9, 2020**: Follow-up letters issued by MDA sought submission of approved building plans and relevant documents. No compliance was ensured by the respondents. (**Annexure-2**)

NOTARY
Rohitash Singh Goley
MEERUT (U.P.)
Reg. No.-8521
GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

III. **November 4, 2020**: Demolition orders were issued under Section 27(1) of the Act, mandating removal of unauthorized constructions. (**Annexure-3**)

IV. **December 30, 2020**: Respondents filed an appeal before the Commissioner, Meerut Mandal. On April 7, 2021, the Commissioner partially allowed the appeal, directing MDA to consider a regularization application. (**Annexure-4**)

V. **February 7, 2022**: MDA rejected the regularization proposal as it contravened the land's designation as public parkland. A final rejection letter was issued on February 7, 2022. (**Annexure-5**)

VI. **March 15, 2022**: Fresh demolition orders were issued following the rejection of the regularization application. (**Annexure-6**)

VII. **March 28, 2022**: MDA requested police assistance for enforcement. However, respondents filed Writ Petition No. 9629/2022 before the Hon'ble Allahabad High Court, resulting in a stay. (**Annexure-7**)

NOTARY
Rohitash Singh Goley
MEERUT (U.P.)
Reg. No. 8521
GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

VIII. **May 2, 2022**: The Commissioner dismissed the appeal, reaffirming the illegality of the construction. (**Annexure-8**)

IX. **July 5, 2022**: The Hon'ble Allahabad High Court dismissed Writ Petition No. 16269/2022, permitting MDA to proceed with demolition. (**Annexure-9**)

X. **August 24, 2022**: MDA scheduled demolition; however, legal revisions filed by respondents under Section 41(3) of the Act delayed the process. The revision was resolved on May 29, 2023. (**Annexure-10**)

XI. **June 16, 2023**: Fresh directions from the High Court allowed MDA to proceed with demolition. Notices were reissued in July 2023. (**Annexure-11**)

XII. **September 19, 2024**: Final demolition orders were issued. Demolition was scheduled for January 4, 2025. (**Annexure-12**)

XIII. **January 4, 2025**: Demolition of unauthorized structures was successfully executed with police support. (**Annexure-13**)

NOTARY Rohitash Singh Goley MEERUT (U.P.) Reg. No.-8521 GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

5. ACTIONS TAKEN BY MDA

5.1. Park 1

5.1.1. Inspection and Findings:

- Complaints were received regarding unauthorized constructions on the designated park area.
- Inspections and scrutiny conducted by MDA confirmed violations of the Master Plan and unauthorized land use.

5.1.2. Legal and Administrative Measures:

- **Show-Cause Notices:** On **December 27, 2019**, notices were issued under Sections 26, 27, and 28 of **the Act of 1973,** directing cessation of construction and seeking explanations. **(Annexure-1)**
- **Demolition Orders:** On **November 4, 2020**, demolition orders were issued under Section 27(1), mandating the removal of unauthorized structures. **(Annexure-3)**

5.1.3. Rejection of Regularization Proposal:

- Respondents filed appeals before the Commissioner, Meerut Mandal, seeking relief. The MDA, after detailed examination, rejected the regularization application

NOTARY
Rohitash Singh Gaday
MEERUT (U.P.)
Reg. No.-8521
GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

on **January 31, 2022**, citing gross violations of zoning regulations. **(Annexure-6)**

5.1.4. **Execution of Demolition:**

- On **January 4, 2025**, the MDA, with the assistance of law enforcement agencies, executed the demolition of all unauthorized constructions encroaching Park 1. Geo tagged pictures from the demolition of encroachment at Park 1 is annexed herewith as **Annexure-13.**

5.1.5. That this decisive action reaffirms the MDA's commitment to ensuring compliance with urban planning norms and restoring public spaces for community use.

5.2. Park 2

5.2.1. **Verification of Allegations:**

- That a detailed review of the layout plan approved under Map No. 146 dated **02.05.1989** was conducted.
- That the scrutiny confirmed that the park remains intact and is free from any encroachments. **(Annexure-14)**

5.2.2. **Compliance Report:**

NOTARY
Rohitash Singh Gotey
MEERUT (U.P.)
Reg. No. 8521
GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

- That MDA submits that there are no unauthorized constructions on Park 2 and the park continues to serve its designated purpose.

5.2.3. **Monitoring Mechanism:**

- To ensure the continued protection of the Mangatpuram Colony public park, the MDA has devised a comprehensive monitoring mechanism. This includes periodic inspections by MDA officials and deployment of dedicated staff to oversee adherence to zoning norms.
- The MDA will also engage with local residents and community groups to act as informants for any future violations. A grievance redressal system will be established by MDA to promptly address complaints related to any future potential encroachments.
- The monitoring framework will integrate geospatial mapping tools to maintain a digital record of the park's boundaries and detect unauthorized changes in real time. This proactive approach is aimed at pre-empting any future encroachments and ensuring the park's long-term preservation.

NOTARY Rohitash Singh Goley MEERUT (U.P.) Reg. No.-8521 GOVT. OF INDIA

6. RESTORATION PLAN

उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ

6.1. **For Park 1:**

6.1.1. That a detailed restoration plan will be initiated shortly by MDA to reinstate the park's ecological and recreational value. The key components of which will include:

- **Rehabilitation of Green Spaces:** Planting native trees and shrubs to restore biodiversity and ecological balance.
- **Recreational Infrastructure:** Development of jogging tracks, open lawns, children's play areas, and community spaces.
- **Eco-Friendly Installations:** Implementation of solar-powered lighting, rainwater harvesting systems, and segregated waste management facilities.

6.1.2. **Community Engagement:**

- Local residents and community groups would be actively involved to ensure effective utilization and long-term maintenance of the park.

6.1.3. The restoration process is expected to be completed within six months, subject to resource availability and MDA is committed to preserving the park in future.

NOTARY
Rohitash Singh Golay
MEERUT (U.P.)
Reg. No. 8521
GOVT. OF INDIA

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

6.2. **For Park 2:**

- Periodic monitoring will be conducted by MDA to ensure the park remains encroachment-free and continues serving its intended purpose.

PRAYER

In view of the foregoing, the Meerut Development Authority respectfully prays that this Hon'ble Tribunal may:

1. Take on record this report outlining the actions taken and compliance measures implemented by the MDA.

2. Pass such other orders as may be deemed fit and proper in the interest of justice, equity, and environmental conservation.

NOTARY
Rohitash Singh Goley
MEERUT (U.P.)
Reg. No. 8521
GOVT. OF INDIA

DATE: January 6, 2025

PLACE: Meerut

DEPONENT
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

VERIFICATION

Verified at Meerut on this 6th day of January,2025 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge, belief and based on official records. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

NOTARY
Rohitash Singh Goley
MEERUT (U.P.)
Reg. No.-8521
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NOTARY
06-01-25

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

Annexure-1

चालान संख्या 4763 बुक संख्या 191

(5)

(1)

उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 26,26 (क), 27 व 28 में अपेक्षित कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन

27-12-19

पत्रांक 81/19 /कम्प्यूटर कोड .... /2018 दिनांक ....

जोन C सेक्टर 4 रिपोर्ट सं० .... दिनांक ....

(1) प्रतिवेदक का नाम एवं पद का नाम एस.के. गुप्ता (अवर अभियन्ता)

(2) निरीक्षण का दिनांक 20.12.2019

(3) अनाधिकृत निर्माणकर्ता का नाम व पूरा पता श्री राहुल धाबड़ा, व श्री लक्ष्मण दास धाबड़ा व श्री वरुण पुत्र श्री लक्ष्मण दास धाबड़ा नि० प्राईवेट न० 03 खसरा न० 1938/1, 1938/2, 1934/1 नि० व 1931/1 कोटला मेरठ जगन्नाथ पुरी मेरठ

(4) अनधिकृत निर्माण का स्वरूप

(क) महायोजना, परिक्षेत्रीय योजना अथवा तलपट योजना का उल्लंघन

(ख) सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण — बिना अनुमति के निर्माण कार्य जारी

(ग) विकास कार्य अनुमति में दी गई शर्तों का उल्लंघन

(घ) महायोजना, क्षेत्रीय परियोजना के विरूद्ध भूमि या भवन का उपयोग — आवासीय

(5) अनधिकृत निर्माण स्थल का विवरण — प्राईवेट न० 03 खसरा न० 1938/1, 1931/1 कोटला मेरठ जगन्नाथ पुरी मेरठ

(क) स्थल का खसरा नं०/भूखण्ड सं०/भवन सं० एवं चौहदी तथा (स्थल का चित्र पीछे दिया है)

(ख) भूखण्ड का क्षेत्रफल (वास्तविक अथवा अनुमानित) — 143.90 वर्गमी

(ग) आच्छादित क्षेत्रफल (वास्तविक अथवा अनुमानित) — लगभग 125.00 वर्गमी

(घ) भूमि/भवन का निर्धारित उपयोग- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत/अन्य — आवासीय

(ङ) भूमि/भवन का वर्तमान उपयोग — आवासीय (व्यवसायिक)

(6) अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य का विवरण -

(क) तल — भूतल

(ख) जीर्णोद्वार/महत्वपूर्ण परिवर्तन/नवीन निर्माण — नवीन निर्माण

(ग) सैट बैक में किये गये अतिक्रमण का विवरण — प्रभावित

(अ) फ्रन्ट सैट बैक (अग्रभाग) — -

(ब) साइड सैट बैक (पार्श्व भाग) — प्रभावित

(स) रियर सैट बैक (पृष्ट भाग)

(घ) बने हुए भवन में कक्षों का विवरण — स्थल पर 15 आर.सी.सी. के कॉलम खड़े करके चिनाई का निर्माण कार्य जारी है।

(ङ.) निरीक्षण के समय निर्माण / विकास कार्य की स्थिति — स्थल पर चिनाई का निर्माण कार्य जारी है

(च) अन्य विवरण — स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी है

(छ) निर्माण / विकास कार्य अनुमानतः कब प्रारम्भ हुआ था — लगभग 15 दिन पूर्व

(7) प्रतिवेदक की संस्तुति : धारा 26, 27, 28(1)(iii) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

20.12.19

प्रतिवेदक

(8) प्रभारी अधिकारी की संस्तुति

प्रभारी अधिकारी

(9) सक्षम अधिकारी के आदेश : धारा 26, 26 (क), 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

जोनल अधिकारी

विकास प्राधिकरण, मेरठ

नोट :- प्रतिवेदन/प्रभारी अधिकारी/जोन अधिकारी हस्ताक्षर के साथ-साथ नाम पद लिखी रबड स्टाम्प भी लगाये।

प्रति:- नाजिर को अभिलिखित/संचित करने हेतु

9

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

81/19

कारण बताओ नोटिस

27-12-19

प्रकरण सं0 81/19 भ0नि0अनु0 0 दिनांक: 20/12/2019 जोन सं0 C
सेक्टर 4 थाना क्षेत्र: टी० पी० नगर श्री/श्रीमती/कु0 राहुल छाबड़ा व् श्री वरुणपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री : श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा
पता: निवासी प्राइवेट न० 03 खसरा सं० 1938 /1 , 1934 /1 मि० व् 1931 /1 जगन्नथपुरी मेरठ

नोटिस अन्तर्गत धारा 26 (क)(4) 27(1) उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित

मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक20/12/2019 (दिनांक शब्दों में बीस दिसम्बर दो हजार उनीस) के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आपने मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना/अनुमति में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके/सार्वजनिक/प्राधिकरण/नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण करके निम्नलिखित स्थान पर जिसका विवरण नीचे दिया है, निम्नानुसार अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य कर लिया है तथा आगे भी कार्य निरन्तर जारी है।

स्थल का नाम व पता जहाँ अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया गया लगभग 125 .0० वर्ग मी०

इसके अतिरिक्त भी स्थल पर अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

आपसे एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक06/01/2020 (दिनांक शब्दों में छह जनवरी दो हजार बीस) तक कारण बताये कि क्यो न उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने के आदेश पारित कर दिये जायें यदि उपरोक्त के सम्बन्ध में आपकों व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्राप्त करना है तो आप दिनांक 06/01/2020 (दिनांक शब्दों में छह जनवरी दो हजार बीस) को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि आपके द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है अतः उपरोक्त उल्लिखित निर्माण के अतिरिक्ति जो भी अनाधिकृत निर्माण स्थल पर पाया जाएगा वह सभी इस नोटिस में शामिल माना जाएगा।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26(1) धारा 26(क) की और आकृष्ट किया जाता है जिसको अन्तर्गत यह प्राविधान है कि ऐसे अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य करने के कारण आपके विरूद्ध सक्षम फौजदारी न्यायालय में वाद योजित किया जा सकता है और दोषी पाये जाने पर रू0 50,000/- तक का अर्थदण्ड और अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य जारी रहने की दशा में रू0 2500/- प्रतिदिन की दर से निर्माण/विकास कार्य जारी रहने की तिथि तक अतिरिक्त अर्थ दण्ड किया जा सकता है एवं धारा 26 (क) के अन्तर्गत एक वर्ष का सामान्य घरावास तथा रूपये 20,000/- तक का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है साथ ही उक्त निर्माण स्थल पर पाये जाने वाली सम्पत्ति को अधिनियम की धारा 28 (क)(1) के अन्तर्गत उक्त निर्माण स्थल को सील भी किया जा सकता है।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य का विवरण:-

(1) तल भूतल
(2) जीणोद्वार/महत्वपूर्ण परिवर्तन/नवीन निर्माण नवीन निर्माण
(3) सैट बैक में किये गये अतिक्रमण का विवरण na
(अ) फ्रन्ट सैट बैक (अग्रभाग) प्रभावित
(ब) साइड सैट बैक (पार्श्व भाग) ०
(स) पिछला सैट बैक (पृष्ठ भाग) प्रभावित
(4) भवन उपयोग (आवासीय/व्यवसायिक/औधोगिक/संस्थागत/अन्य) व्यावसायिक /आवासीय
(5) भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 143 .9 ० वर्ग मी०
(6) अनाधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल
(7) बने हुए भवन के कक्षो का विवरण स्थल पर 15 R C C के कॉलम खड़े करके चिनाई का निर्माण कार्य जारी
(8) निरीक्षण के समय निर्माण की अवस्था स्थल पर चिनाई का निर्माण कार्य जारी
(9) अन्य विवरण स्थल पर कोई स्वीकर्ति नहीं दिखाई गई

अधिकृत अधिकारी
प्रर्वतन अनुभाग जोन- C
मेरठ विकास प्राधिकरण,मेरठ।

mdameerut.in/ViewShowcausenotice.aspx?PRId=2603

(10)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28(1) के

81/19 अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य रोको आदेश 27-12-19

जोन C सेक्टर 4 प्रकरण सं0 81/19 थाना क्षेत्र टी० पी० नगर

श्री/श्रीमती/कु0 राहुल छाबड़ा व् श्री वरुण पुत्र श्री श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा

पता निवासी प्राइवेट न० 03 खसरा सं० 1938 /1 , 1934 /1 मि० व् 1931 /1 जगन्नथपुरी मेरठ

खण्डीय अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 20/12/2019 के द्वारा चूँकि मुझे यह अवगत कराया गया है कि आपने मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित स्थान पर जिसका विवरण स्थल का नाम जहाँ अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया गया प्राइवेट न० 03 खसरा सं० 1938 /1 , 1934 /1 मि० व् 1931 /1 जगन्नथपुरी मेरठ

अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य का विवरण

(1) तल: भूतल
(2) जीर्णोद्वार/महत्त्वपूर्ण परिवर्तन/नवीन निर्माण: नवीन निर्माण
(3) सैट. बैक में किये गये अतिक्रमण का विवरण: ०
(क) फ्रन्ट सैट बैक (अग्र भाग): प्रभावित
(ख) साइड सैट बैंक (पार्श्व भाग):०
(ग) रियर सैट बैक (पृष्ठ भाग): प्रभावित
(4) अनुमन्य भू-उपयोग :आवासीय / व्यवसायिक
(5) स्थल पर भू-उपयोग :आवासीय / व्यवसायिक
(6) भूस्वामित्व (सार्वजनिक/सरकारी/नगर विकास/प्राधिकरण/निजी/अन्य): na
(7) भूखण्ड का क्षेत्रफल : लगभग 143 .90 वर्ग मीटर
(8) अनधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल: लगभग 125 .90 वर्ग मीटर
(9) बने हुए भवन में कक्षों का विवरण: स्थल पर 15 R C C के कॉलम खड़े करके चिनाई का निर्माण कार्य जारी
(10) निरीक्षण के समय निर्माण की स्थिति: स्थल पर चिनाई का निर्माण कार्य जारी
(11) अन्य विवरण :स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया

मेरठ महायोजना के प्रविधानों एवं उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 14 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना/अनुमति पत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य आर्मभ कर दिया है तथा कार्य निरन्तर जारी है अतः उक्त अधिनियम की धारा 28(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त आपको दिया जाता है कि आप इस आदेश के प्राप्त होने पर तत्काल उपरोक्त उल्लिखित निर्माण कार्य बन्द कर दें यदि आपको उपरोक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 06/01/2020 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त आदेश का पुलिस बल की सहायता से अनुपालन कराया जायेगा तथा आपके विरुद्ध धारा 26/27 अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपने उक्त अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य बन्द नहीं किया तो उक्त अधिनियम की धारा 28(2) के अधीन पुलिस बल की सहायता से आपको/आपके सहायकों को तथा श्रमिकों को निर्माण/विकास कार्य स्थल से बलपूर्वक हटाया जा सकता है और स्थल की निगरानी पुलिस अथवा प्राधिकरण के अधिकारियों से कराई जा सकती है। साथ ही साथ अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये बिना/अनुमति में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके निर्माण/विकास कार्य जारी करने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अभियोजन किया जा सकता है। जिसमें 200/- रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड का प्राविधान है। आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26(1) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान है कि ऐसे अधिकृत निर्माण/विकास कार्य करने के कारण आपके विरुद्ध सक्षम फौजदारी न्यायालय में वाद योजित किया जा सकता है। धारा 26 के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर रू० 50000/- तक का अर्थ दण्ड और उक्त अनधिकृत निर्माण जारी रहने की दशा में रू० 2500/- प्रतिदिन की दर से अनधिकृत निर्माण स्थल सील भी किया जा सकता है।

प्रतिलिपिः अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्माण कार्य रुका है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अथवा एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करे।

अधिकृत अधिकारी
अधिकृत अधिकारीप्रवर्तन अनुभाग जोन --C
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

8

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

81/19 27-12-19

पत्रांक: 81/19 /भ0नि0अनु0/0 दिनांक 20/12/2019 सेक्टर नं0-4

प्रेषक,

जोनल अधिकारी, जोन- C
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

सेवा में, थानाध्यक्ष,
टी० पी० नगर मेरठ

विषयः अनाधिकृत नर्माण रूकवाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उ0प्र0 नगर नियाजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 के अन्तर्गत मेरठ विकास प्रधिकरण मेरठ में बिना स्वीकृति प्राप्त किये/स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध श्री/श्रीमती/मै0 राहुल छाबड़ा व् श्री वरुण पुत्र श्री श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा पुत्र/पत्नी/मै0श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा निवासी निवासी प्राइवेट न० 03 खसरा सं० 1938 /1 , 1934 /1 मि० व् 1931 /1 जगन्नथपुरी मेरठ द्वारा स्थल निवासी प्राइवेट न० 03 खसरा सं० 1938 /1 , 1934 /1 मि० व् 1931 /1 जगन्नथपुरी मेरठ मेरठ पर अनाधिकृत रूप से स्थल पर 15 R C C के कॉलम खड़े करके चिनाई का निर्माण कार्य जारी निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है जिसके विरूध्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 27 व 28 के अनुसार प्रकरण संख्या 81/19 के अन्तर्गत कार्य रोको तथा कारण बताओं नोटिस दिये जा चुके है परन्तु अवैध निर्माण निरन्तर जारी है अतः अधिनियम की धारा 28(2) के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण को रूकवाने का कष्ट करें।

भवदीय
जोनल अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

प्रतिलिपिः अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ के सूचनार्ध एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जोनल अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

Annexure-2

Meerut Development Authority | Dashboard

14

Meerut Development Authority

मेरठ विकास प्राधिकरण

पत्रांक 81/19 /प्रवर्तन अनु-/जोन-C दिनांक 08/01/2020

सेवा में,

श्री राहुल छाबड़ा, व् श्री वरुण

पुत्र श्री श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा निवासी प्राइवेट न० 03 खसरा सं० 1938 /1 , 1934 /1 मि० व् 1931 /1 जगन्नथपुरी मेरठ

महोदय,

आपके द्वारा प्राइवेट न० 03 खसरा सं० 1938 /1 , 1934 /1 मि० व् 1931 /1 जगन्नथपुरी मेरठ मेरठ में प्राधिकरण की बिना अनुमति के स्थल पर 15 R C C के कॉलम खड़े करके चिनाई का निर्माण कार्य जारी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 26, 27 व 28 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की जा चुकी है, जिसका चालान सं0 4763 है। आपको उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया कि दिनांक 06/01/2020 तक लिखित आपत्ति के साथ कोई अधोहंस्ताक्षरी के कार्यलय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें। परन्तु आपके द्वारा कोई लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आपको अन्तिम अवसर दिया जाता है कि दिनांक 16/01/2020 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि नियत तिथि को आपके द्वारा कोई लिखित सूचना नहीं दी जाती है, तो आपके निर्माण को बिना किसी सूचना के पाधिकरण द्वारा ध्वस्त/सील कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। इस पर होने वाला व्यय आपसे भू- राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लिया जायेगा।

8/1/20

भवदीय,

अधिकृत अधिकारी/जोन

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

(16)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 81/19 /प्रवर्तन अनु0/ जोन–सी–/2020 दिनांक : 07/10/20

सेवा में,

श्री राहुल छाबड़ा व श्री वरूण छाबड़ा,
पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा
निवासी प्राइवेट न0 03 खसरा सं0 1938/1,
1934/1, मि0 व 1931/1 जगन्नाथपुरी मेरठ।

महोदय

कृपया आपके द्वारा **उपराक्तानुसार** मेरठ में प्राधिकरण की बिना अनुमति के **स्थल पर 15 आर सी सी के कालम खड़े करके चिनाई का निर्माण कार्य जारी का निर्माण किया जा रहा है** जिसका प्राधिकरण द्वारा उ0 प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 26 , 27 व 28 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की जा चुकी है जिसका **चालान संख्या 81/19** है आपको उक्त अवैध निर्माण के विरूद्व कारण बताओ व कार्य रोको नोटिस निर्गत किया गया कि **दिनांक 06.01.2020 एवं 16.01.2020** तक लिखित आपत्ति के साथ कोई अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करे, परन्तु आपके द्वारा कोई लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी है।

अतः आपको अन्तिम अवसर दिया जाता है कि **दिनांक 19.10.2020** को सांय 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि नियत तिथि को आपके द्वारा कोई लिखित सूचना नहीं दी जाती है तो आपके निर्माण को बिना किसी सूचना के प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त/सील कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मदारी स्वयं आपकी होगी, इस पर होने वाला व्यय आपसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लिया जायेगा।

भवदीय,

9/10/20

जोनल अधिकारी जोन सी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

Annexure – (3)
A1

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

ध्वस्तीकरण आदेश

क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री एस.के.गुप्ता ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 27.12.19 में यह आख्या प्रस्तुत की है कि श्री राहुल छाबड़ा पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा व श्री वरूण पुत्र श्री लक्ष्मण दास छाबड़ा निवासी प्राईवेट नं0 03 खसरा नं0 1938/1/938/2 1934/1 मि0 व 1931/1 कस्बा मेरठ जगन्नाथपुरी मेरठ के क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण करवा रहे हैं।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी अनाधिकृत निर्माणकर्ता पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत वाद सं0 81/19 योजित कर कारण बताओ नोटिस एवं कार्य रोको आदेश दिनांक 06.01.2020 को जारी किया गया व सुनावाई हेतु नियत तिथि 16.01.2020 एवं 19.01.2020 को तामिल कराया गया। विपक्षी ने नियत तिथि पर न तो स्वयं न अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर कोई कारण बताओ नोटिस व अन्तिम नोटिस का जवाब दिया और न ही अवैध निर्माण कार्य रोका है।

विपक्षीं द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण से उक्त अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन होता है, जिससे ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है ।

अतः उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के एक माह (30 दिन) के अन्दर उक्त अनधिकृत निर्माण को हटाकर इस कार्यालय को सूचित कर दें, अन्यथा उक्त अवैध निर्माण को मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात ध्वस्त करा दिया जायेगा और इस पर होने वाला व्यय भू-राजस्व बकाया क रूप में वसूल कर लिया जोयगा ।

जोनल अधिकारी जोन सी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

पत्रांक : 81/19 /प्रवर्तन खण्ड जोन–सी/20–5 दिनांक : 04/11/20

प्रतिलिपि – उक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

1-- श्री राहुल छाबड़ा पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा व श्री वरूण पुत्र श्री लक्ष्मण दास छाबड़ा निवासी प्राईवेट नं0 03 खसरा नं0 1938/1 मि0, 1934/1 मि0 व 1931/1 कस्बा मेरठ जगन्नाथपुरी मेरठ।
2 – जोनल अधिकारी जोन–सी (मे0वि0प्राधि0) मेरठ।
3-- अवर अभियन्ता जोन–सी (मे0वि0प्राधि0) मेरठ।

4/11/20

जोनल अधिकारी जोन सी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

(32)

Annexure-(4)

मण्डल:- मेरठ
न्यायालय आयुक्त
वाद संख्या:- 01492/2020

राहुल छाबडा व वरूण छाबडा बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202011000001492

अंतर्गत धारा:- 27(2),उ0प्र0 शहरी योजना और विकास अधिनियम,1973

आदेश तिथि:- 07/04/2021

अंतिम आदेश

-निर्णय-

यह अपील सर्वश्री राहुल छाबडा व वरूण छाबडा पुत्रगण श्री लक्ष्मणदास छाबडा, निवासीगण-39 /3सी, उमेश विहार कॉलोनी, मेरठ की ओर से जोनल अधिकारी, जोन-सी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पत्रांक-81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन-सी/20-4 में पारित आदेश दिनांक 04-11-2020 के विरूद्ध विलम्ब से दिनांक 15-12-2020 को योजित की गयी है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-2020 के अन्तर्गत विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम अर्थदण्ड रू० 500/- पर स्वीकार करते हुये अपील ग्राहय की गयी तथा अपीलार्थीगण को अर्थदण्ड की धनराशि राजकोष में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु अपीलार्थीगण की ओर से अर्थदण्ड की धनराशि राजकोष में जमा करने की रसीद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी। प्राधिकरण के उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थीगण के अनाधिकृत निर्माण को ध्वंस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

पत्रावली में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 22-03-2021 को पत्रावली पेश हुई। परन्तु अपीलार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, जिस पर न्यायहित में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 31-03-2021 तक का समय प्रदान करते हुये आदेश हेतु दिनांक 07-04-2021 नियत की गयी। न्यायालय में उपस्थित विपक्षी/प्राधिकरण के अधिवक्ता के तर्को को सुना गया। प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कहा गया कि अपीलार्थीगण द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिस पर शमन की कार्यवाही नही हो सकती। प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त् भी अपीलार्थीगण की ओर से प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृत मानचित्र अथवा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। उन्होने कहा कि नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत नही किया जा सकता। उनके द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में प्रश्नगत सम्पत्ति बैनामें के आधार पर क्रय किये जाने का उल्लेख किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि बैनामे के द्वारा क्रय की गयी है, जो कि नगर निगम की भूमि नही है। उन्होने कहा कि अपीलार्थी द्वारा शमन मानचित्र विकास प्राधिकरण के समक्ष सशुल्क जमा किया गया है, परन्तु प्राधिकरण द्वारा उसका निस्तारण नही किया गया। उनके द्वारा प्राधिकरण के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण के अधिवक्ता के तर्को को सुनने तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्राईवेट नम्बर 03 खसरा संख्या-1938/ 1/938/2, 1934/1मि व 1931/1 कस्बा मेरठ जगन्नाथपुरी, मेरठ में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया गया, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की आख्या के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध कार्य रोको आदेश दिनांक 06-01-2020 जारी किया गया व सुनवाई हेतु नियत दिनांक 16-01-2020 व 19-01-2020 तामील कराया गया, परन्तु अपीलार्थीगण नियत दिनांक पर न तो प्राधिकरण के समक्ष स्वयं उपस्थित हुये तथा न ही उनकी ओर उनके प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस व अन्तिम नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा न ही अवैध निर्माण कार्य रोका गया। प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के अनाधिकृत निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा-14 का उल्लंघन मानते हुये धारा-27(1) के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को 30 दिन की अवधि के अन्दर ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।

प्राधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध योजित प्रश्नगत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है कि निर्माण से पूर्व उसके द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नही कराया गया, साथ ही यह भी उल्लिखित किया गया है कि उसके द्वारा शमन शुल्क के रूप में रू० 30,000.00 का ड्राफ्ट संलग्न कर शमन मानचित्र प्राधिकण के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किया गया, जिसके निस्तारण के सम्बन्ध में अभिलेखों से कोई स्थिति स्पष्ट नही होती हैं। न्यायहित में उचित होगा कि अपीलार्थीगण द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये शमन मानचित्र के आधार पर प्राधिकरण स्तर से यह परीक्षण किया जाए कि अपीलार्थी द्वारा किया गया निर्माण नियमानुसार शमन योग्य है अथवा नही। प्राधिकरण स्तर से प्रार्थी के शमन मानचित्र पर दो माह की अवधि के अन्दर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाएं।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण का आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत अपील बलहीन होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23-12-2020 के अनुपालन में अपीलार्थीगण की ओर से अर्थदण्ड की धनराशि राजकोष में जमा करने की रसीद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण अपीलार्थीगण से अर्थदण्ड रू० 500/- की नियमानुसार वसूली हेतु आदेश की सत्यापित प्रति सहित जिलाधिकारी, मेरठ को पत्र प्रेषित किया जाएं।

आदेश

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जोनल अधिकारी, जोन-सी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पत्रांक-81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन-सी/20-4 में पारित आदेश दिनांक 04-11-2020 निरस्त किया जाता है। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शमन मानचित्र का उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के सुसंगत प्राविधानों एवं शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर दो माह के अन्दर निस्तारण करें। आदेश की सत्यापित प्रति सहित प्राधिकरण की पत्रावली वापस की जाएं।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23-12-2020 के अनुपालन में अपीलार्थीगण से अर्थदण्ड रू० 500/- की नियमानुसार वसूली हेतु आदेश की सत्यापित प्रति सहित जिलाधिकारी, मेरठ को पत्र प्रेषित किया जाएं। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त् इस न्यायालय की पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाएं।

दिनांक: 07.04.2021

(सुरेन्द्र सिंह)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सत्य प्रतिलिपि
अधीक्षक
आयुक्त न्यायालय
मेरठ मण्डल मेरठ

Annexure-5

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 61/19/प्रवर्तन खण्ड जोन–सी/22 दिनांक : 07/02/22

सेवा में,

श्री राहुल छाबड़ा व श्री वरूण छाबडा,
पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा
निवासी–प्राइवेट नं0 03,
जगन्नाथपुरी, मेरठ।

विषयः–शमन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा जगन्नाथपुरी में खसरा संख्या 1938/1, 1938/2मि0, 1934/1मि0, एवं 1931/1 पर किये गये निर्माण को शमन करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि महायोजना एवं ले–आउट के अनुसार आपका निर्माण पार्क की भूमि में निर्मित हैं, इसलिये आपके निर्माण का शमन किया जाना सम्भव नही है। अतः आपका शमन प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

07/02/22
जोनल अधिकारी जोन–सी
मेरठ विकास प्राधिकरणं
मेरठ

O/C
Sakshi Sehgal
19/02/2022

Annexure-6

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रकरण सं0–81/19 जोन–सी दिनांक 15.3.2022

ध्वस्तीकरण आदेश

क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एस0 के0 गुप्ता ने अपनी प्रतिवेदन/चालानी रिपोर्ट दिंनांक 20.12.2019 में यह आख्या प्रस्तुत की, कि श्री राहुल छावड़ा पुत्र श्री लक्ष्मणदास छावड़ा व श्री वरूण पुत्र श्री लक्ष्मणदास छावड़ा द्वारा प्राइवेट नं0–03, खसरा सं0 1938/1, 1938/2, 1934/1मि0, व 1931/1 जगन्नाथपुरी, मेरठ पर लगभग 143.90 वर्ग मी0 में स्थल पर 15 आर0सी0सी0 के कॉलम खडे करके चिनाई का निर्माण कार्य किया गया है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी निर्माणकर्ता पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26, 27 व 28 के अन्तर्गत क्रमण:"कारण बताओं" नोटिस एवं "कार्य रोकों" आदेश दिनांक 27.12.2019 व अन्तिम सुनवायी हेतु तिथि दिनांक 19.10.2020 निर्धारित करते हुए जारी किया गया जिसे दिनांक 12.10.2020 को तामिल कराया गया। विपक्षी ने नियत तिथि पर न तो स्वंय न अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर कोई कारण बाताओं नोंटिस व अन्तिम नोटिस का जवाब दिया ओर न ही अवैध निर्माण कार्य को रोका है। विपक्षी द्वारा उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण से उक्त अधिनियम–1973 की धारा–14 का उल्लंघन होता है, जिससे ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः आपको उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27(1) के अन्तर्गत आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाकर इस कार्यालय को सूचित कर दें, अन्यथा उक्त अवैध निर्माण कार्य को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् ध्वस्त करा दिया जायेगा और इस पर होने वाला व्यय आपसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

15/03/22

O/C

जोनल अधिकारी जोन–सी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

भारतीय डाक
India Post

Annexure-(7)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 81/19 / प्रवर्तन खण्ड जोन–सी /2022 दिनांक : 28/3/22

प्रेषक,

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

सेवा में:

1–जिलाधिकारी,
मेरठ।

2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ।

विषयः–स्थल– प्राइवेट नं0–3, खसरा संख्या 1938/1, 1938/2, 1934/1मि0 व 1931/1 जगन्नाथपुरी मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदयः

कृपया उपयुर्क्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत प्राइवेट नं0–3, खसरा संख्या 1938/1, 1938/2, 1934/1मि0 व 1931/1, जगन्नाथपुरी, मेरठ पर श्री राहुल छाबड़ा पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये लगभग 145 वर्ग मी0 स्थल पर 15 आर0सी0सी0 के कॉलम खडे करके चिनाई का निर्माण कार्य किया गया है। जिसके विरूद्व प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संसोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु दिनांक 31.03.2022 को प्रातः 10:00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि प्रासंगिक क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.03.2022 को प्रातः 10.00 बजे थाना टी0पी0 नगर, मेरठ में एक मजिस्ट्रेट नामित करते हुये, समुचित पुलिस बल/एक प्लाटून पी0ए0सी, महिला कॉस्टेबल, व फायर टैण्डर व्हीकल उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थ को आदेशित करने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से पूर्ण करायी जा सकें।

भवदीय

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवालोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर अवगत कराने का कष्ट करें।
3. पुलिस अधीक्षक (नगर) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन/शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पी0ए0सी0/पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी, टी0पी0 नगर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. थानाध्यक्ष टी0पी0 नगर, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त जोनल अधिकारी/समस्त नोडल अधिकारी/समस्त अवर अभियन्ता, समस्त अनुचर/मेट जोन–ए,बी,सी, व डी को मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।
7. नाजिर मेरठ विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि पर प्रातः 10.00 बजे जे0सी0बी0 एवं प्रवर्तन स्टॉफ हेतु 2 वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Court No. - 29

Case :- WRIT - C No. - 9629 of 2022

Petitioner :- Rahul Chhabra And Another
Respondent :- State Of U P And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Saurabh Kumar Tiwari,Kamla Prasad Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Pankaj Srivastava,Shiv Prakash Gupta

Hon'ble Pritinker Diwaker,J.
Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.

Sri Tiwari, counsel for the petitioners, Sri J.N. Maurya, counsel for respondent nos. 3 and 4 and Sri Ankit Srivastava, Advocate under the authority of Sri Pankaj Srivastava, counsel for respondent no.5.

Counsel for the petitioner fairly submits that as against the impugned order dated 7.2.2022, an appeal lies under the provisions of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973, the petitioner may be permitted to withdraw the writ petition with liberty to file an appeal. He submits that as the petitioner was pursuing the writ petition in this Court, appeal may not be entertained on merits and may be dismissed on the ground of limitation and, therefore, the appellate authority be directed to decide the appeal on merits, ignoring the point of limitation. He submits that the petitioner wishes to file an interim application along with the appeal. He further submits that demolition threat is also there and, therefore, till the decision on the said interim application, no demolition may take place.

Counsel for the respondents have no objection so far as the prayer with regard to withdrawal of the writ petition and filing of an appeal along with interim application is concerned. They, however, submit that rest of the thing may be left open at the discretion of the appellate authority.

Be that as it may, without expressing any opinion on the merits of the case, the petitioner is permitted to withdraw the writ petition with the aforesaid liberty.

Needless to state that in the eventuality of filing an appeal by the petitioner within ten days from today along with interim application, the appellate authority is obliged to decide the interim application first and then the appeal, ignoring the point of limitation.

Till three weeks from today or deciding the interim application whichever is earlier, no demolition activities shall be taken against the petitioner.

The petition is, accordingly, disposed of.

Order Date :- 11.4.2022
RK

(Ashutosh Srivastava, J) (Pritinker Diwaker, J)

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2022.04.12 11:11:03 IST
Reason:
High Court of Judicature

Annexure-(8)

मण्डल:- मेरठ
न्यायालय आयुक्त
वाद संख्या:- 503/2022
राहुल छाबडा आदि बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण आदि
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202211000000503
अंतर्गत धारा:- 15(5),उ0प्र0 शहरी योजना और विकास अधिनियम,1973
आदेश तिथि:- 02/05/2022
अंतिम आदेश

-निर्णय-

यह अपील सर्वश्री राहुल छाबडा व वरूण छाबडा, पुत्रगण श्री लक्ष्मणदास छाबडा, निवासीगण-39 /3सी, उमेश विहार कॉलोनी, मेरठ की ओर से जोनल अधिकारी, जोन-सी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पत्रांक-81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन-सी में पारित आदेश दिनांक 15-03-2022 के विरूद्ध योजित की गयी है। प्राधिकरण के उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थीगण के अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कहा गया कि प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 04-11-2020 के विरूद्ध उनकी ओर से योजित अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-04-2021 के द्वारा प्राधिकरण का आदेश निरस्त कर अपीलार्थीगण के निर्माण को नियमानुसार शमन किये जाने के निर्देश दिये गये थें, परन्तु प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेशों का कोई अनुपालन नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि बैनामे के द्वारा क्रय की गयी है, जो कि नगर निगम की भूमि नही है। उन्होने कहा कि अपीलार्थी द्वारा शमन मानचित्र विकास प्राधिकरण के समक्ष सशुल्क जमा किया गया है, परन्तु प्राधिकरण द्वारा उसका निस्तारण नही किया गया। उनके द्वारा प्राधिकरण के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कहा गया कि अपीलार्थीगण द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर नियमों का उल्लंघन किया गया है, उन्होने कहा कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के पूर्व पारित आदेश दिनांक 07-04-2021 का अनुपालन नहीं किय गया, उसके द्वारा किया गया निर्माण सावर्जनिक भूमि (पार्क की भूमि) पर है। जिस पर शमन की कार्यवाही नही हो सकती। प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त् भी अपीलार्थीगण की ओर से प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृत मानचित्र अथवा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। उन्होने कहा कि नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत नही किया जा सकता। उनके द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने तथा अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में जोनल अधिकारी, जोन-सी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पत्रांक-81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन-सी/20-4 में पारित आदेश दिनांक 04-11-2020 के विरूद्ध योजित अपील संख्या-सी-20201100001492 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-04-2021 के अन्तर्गत प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04-11-2020 को निरस्त कर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शमन मानचित्र का उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के सुसंगत प्राविधानों एवं शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर निस्तारण करें। जिसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष शमन मानचित्र

प्रस्तुत करने एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने के कारण प्राधिकरण के आक्षेपित आदेश दिनांक 15-03-2022 द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है।

प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध योजित प्रश्नगत अपील में अपीलार्थी द्वारा ऐसे साक्ष्य संलग्न नही किये गये, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सकें कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-04-2021 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष औपचारिकतायें पूर्ण शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में न्यायालय में उपस्थित प्राधिकरण के पैरोकार से प्राधिकरण की पत्रावली मंगायी गयी, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का निर्माण पार्क की भूमि पर है, जिसको नियमानुसार शमन किया जाना विधिसंगत नही है ऐसी स्थिति में जोनल अधिकारी, जोन-सी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पत्रांक-81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन-सी में पारित आदेश दिनांक 15-03-2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित न होने के कारण प्रश्नगत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपील निरस्त की जाती है। आदेश की सत्यापित प्रति सहित प्राधिकरण की पत्रावली वापस की जाएं। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त् इस न्यायालय की पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाएं।

दिनांक: 02.05.2022

2.05.2022

(सुरेन्द्र सिंह)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.05.2021 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सत्य प्रतिलिपि
अधीक्षक
आयुक्त न्यायालय
मेरठ मण्डल, मेरठ

Neutral Citation No. - 2022:AHC:93228

Court No. - 38

Case :- WRIT - C No. - 16269 of 2022

Petitioner :- Rahul Chhabra And Another
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Kamla Prasad Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Pankaj Srivastava,Shiv Prakash Gupta

Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.

1. Undisputedly, against the order dated 02.05.2022, the petitioners have statutory remedy of appeal under Section 41(3) of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973.

2. In view of the above, interference claimed under Article 226 of the Constitution of India is declined. Present writ petition is **dismissed**, leaving it open to the petitioners to file appropriate revision.

Order Date :- 5.7.2022
Abhilash

E-Mail-10 ... 30-5-23

343/जोनसी 02/06/2023

3613/V-C 30.5.2023

Annexure-10

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8
संख्या-पुन-588/8-8099/227/2022
लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2023

श्री राहुल छाबड़ा — पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मेरठ विकास प्राधिकरण — विपक्षी

जोनल जोन-सी

निर्णय

श्री राहुल छाबड़ा व वरूण छाबड़ा पुत्रगण लक्ष्मण दास छाबड़ा, निवासी 39/3-सी उमेश विहार कालोनी, टी०पी० नगर, मेरठ द्वारा जोनल अधिकारी जोन-सी, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2022 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41(3) के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नलिखित आधारों पर योजित किया गया है:-

उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण 30.5.23

(1) That one Kapil Maheshwari was the owner of property plot no.3 area 172.10 Sq. yard which is the part of khasra no.1938/1, 1938/2, 1934/1 & 1931/1 situated at Qasba Meerut at present known as jagannathpuri, Meerut which was purchased through sale deed dated 08.06.2017 executed by Indu Bala. the sale deed was registered in the office of Sub Registrar.

(2) That Indu Bala, shashi Bala are recorded owner in the revenue records of the above property. One Jaiprakash moved and application under Right to information Act before the office of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad regarding the acquirement of the above property the Executive Engineer/Authorized Authority of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Meerut replied on 29.01.2013 that the above property has not been acquired. The photocopy of letter 29.01.2013 is annexed as Annexure No.1 to this revision.

(3) That Nagar Nigam Meerut also issued a letter that the above property has not been acquired and this property is not the property of Nagar Nigam.

(4) That the opposite parties Meerut Development Authority also issued a letter that the above property has not been acquired and the property is developed as private colony. and there is no approved map available in the office of opposite party this colony was developed before the formation of Meerut Development Authority.

(5) That from the above annexures it is clear that the above property was never acquired by any authority and the above property is a private property

08/06/23

owned by Kapil Maheshwari and the Kapil Maheshwari sold the above property to the revisionist and executed the sale deed on 17.12.2019 in favour of revisionist and register in the office of Sub Registrar Meerut.

(6) That after purchase the revisionist constructed a building on the above property.

(7) That opp. party no.4 passed demolition order ex-parte on 04.11.2020 on the basis of report.

(8) That revisionist filed an appeal before the competent authority Commissioner Meerut on 15.12.2020 which was registered as appeal/case no.1492/2020 computerized case no.C-202011000001492. The Commissioner was pleased to allow the appeal on 07.04.2021 and permitted the petitioner to file an application and formalities before the opposite parties regarding compounding.

(9) That during pendency of above appeal the revisionist filed an application for compounding alongwith map and compounding fee Rs.30,000/- by demand draft on 25.11.2020.

(10) That the application Annexure No.5 is pending before the opposite party.

(11) That opposite party no.4 on 15.03.2022 passed an order for demolition on in most arbitrary and illegal manner. The photocopy of the order dated 15.03.2022 is being annexed herewith as Annexure No.6 to this revision.

(12) That revisionist filed an appeal before the competent authority Commissioner Meerut which has been registered as appeal/case no.503/2022 computerized case no.C202211000000503. The commissioner Meerut without considering the facts of the case and without perusing the documents and summoning the file of the lower court dismissed the above appeal on 02.02.2022 in most illegal and arbitrary manner. A copy of order dated 02.05.2022 is being annexed herewith as Annexure No.7 to this revision.

GROUNDS

(a) Because, the impugned judgement and order passed by the Learned Court below is totally illegal, unjust and arbitrary and not sustainable in the eyes of law.

(b) Because, the findings and conclusion arrived by the Appellate Authority that revisionist has not complied the order dated 07.04.2021 regarding compounding but the fact is that revisionist on 25.11.2020 filed the

पृष्ठ- 2/5

application documents for compounding and the application for compounding is pending since then.

(c) Because, the appellate authority without any pleading or evidence recorded the findings that the land in question is public land (land of park)

(c) Because, the Appellate Authority allowed the previous appeal on 07.04.2021 and permitted the revisionist for compounding as well as directed the opposite parties to decide the compounding application within two months but the application of compounding is still pending before the opposite parties.

(e) Because, the Learned Court below has committed material irregularity in passing the above order.

(f) Because, there is no evidence that the property is a public property (land of park) for which opposite parties Awas Evam Vikas Parishad, Nagar Nigam have issued the certificate/reply regarding the private property.

2. प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार खसरा संख्या–1938/1, 1938/2, 1934/1 एवं 1931/1 में से 172.10 वर्ग गज भूमि के सम्बन्ध में श्रीमती शशि बाला एवं श्रीमती इन्दुबाला द्वारा निष्पादित अभिलेख पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 08–06–2017 का विषय है जो कि इस याचिका के निस्तारण के लिये अनावश्यक है क्योंकि अंपीलार्थी का निर्माण अवैध रूप से निर्मित् पाये जाने के कारण नियमानुसार शमन किया जाना विधि संगत नहीं था। उक्त अभिलेखों के अनुसार जयप्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आवास विकास, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उपरोक्त खसरा नम्बरानों के सापेक्ष में आवास विकास, मेरठ द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरानों को आवास विकास, मेरठ ने अधिग्रहीत नहीं किया है और न ही कोई सरोकार है। उक्त अभिलेख के अनुसार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत एक जयप्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा खसरा संख्या–1934/1, 1938/2, 1931/1, 1938/1 के सम्बन्ध में नगर निगम मेरठ द्वारा प्राप्त हुई सूचना है कि नगर निगम, मेरठ द्वारा उपरोक्त खसरा सं० निगम द्वारा अधिग्रहीत नही किये गये है। एक अन्य प्रार्थना पत्र उसी जयप्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दिनांक 21–01–2013 को समक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त खसरा नम्बरानों के सापेक्ष में उत्तर प्राप्त हुआ कि उक्त भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये अवैध निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया शमन मानचित्र स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार पार्क की भूमि में अवैध रूप से निर्मित पाये ज़ाने के कारण प्राधिकरण द्वारा विधि अनुमन्य रूप से निरस्त किया जा चुका है।

प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि याची द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये अवैध निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया शमन मानचित्र स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार पार्क की भूमि में अवैध रूप से निर्मित पाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा विधि अनुमन्य रूप से निरस्त किया जा चुका है। राहुल छाबड़ा द्वारा भूतल पर आर०सी०सी० के कॉलम खड़े करके अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक 20–12–2019 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 04–11–2020 को

ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। इसके उपरान्त राहुल छाबड़ा द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष वाद दायर किया गया जिसमें सुनवाई के उपरान्त दिनांक 07–04–2021 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये:–

"अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जोनल अधिकारी, जोन–सी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पत्रांकः 81/19/प्रवर्तन खण्ड, जोन–सी/20–4 में पारित आदेश दिनांक 04–11–2020 निरस्त किया जाता है। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शमन मानचित्र का उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के सुसंगत प्राविधानों एवं शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर दो माह के अन्दर निस्तारित करें।"

उपरोक्त आदेशों के क्रम में राहुल छाबड़ा को दिनांक 10–12–2021 एवं 14–12–2021 को शमन मानचित्र जमा करने हेतु पत्र भेजे गये। इसके उपरान्त राहुल छाबडा द्वारा दिनांक 16–12–2021 को शमन करने हेतु प्रपत्र जमा किये गये। भवन पार्क की भूमि में निर्मित होने के कारण शमन प्रस्ताव उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 31–01–2022 को निरस्त कर दिया गया एवं इसकी सूचना राहुल छाबड़ा को दिनांक 07–02–2022 को भेजी जा चुकी है। आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पूर्व के पारित ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त कर दिये गये थे इसलिये दिनांक 15–03–2022 को पुनः ध्वस्तीकरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये अवैध निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया शमन मानचित्र व अंकन 30,000/– रुपये शमन–शुल्क हेतु जमा कराने से सम्बन्धित है। उक्त शमन मानचित्र विधि अनुमन्य रूप से निरस्त किया जा चुका है। निगरानीकर्ता का यह कथन कि उक्त निर्णय प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना व अभिलेखों का अवलोकन किये बिना एवं प्राधिकरण से सम्बन्धित पत्रावली तलब किये बिना पारित किया गया है, असत्य है। उपरोक्त अपील में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा प्राधिकरण के पैरोकार से प्राधिकरण की पत्रावली मंगाई गई थी जिसका अवलोकन आयुक्त द्वारा किया गया और यह पाया गया कि अपीलार्थी का निर्माण पार्क की भूमि पर है जिसको नियमानुसार शमन किया जाना विधि संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में जोनल अधिकारी, जोन–सी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पत्रांक–81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन–सी में पारित ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 15.03.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित न होने के कारण प्रश्नगत अपील निरस्त किये जाने योग्य पाते हुए खारिज की गई थी। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 02–05–2022 पूर्णतः विधि–सम्मत एवं नितान्त उचित है।

निगरानीकर्ता विपक्षीगण के विरूद्ध कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है और निगरानी सव्यय खंडित होने योग्य है। यह कि उपरोक्त कारणोंवश निगरानी सव्यय खण्डित होने योग्य है।

4. पत्रावली प्रस्तुत। उभय पक्षों का सुना गया। पत्रावली में रक्षित तथ्यों, साक्ष्यों, अभिलेखों एवं आख्याओं का सम्यक् परिशीलन किया गया। सुनवाई दौरान पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उसके द्वारा खसरा सं0 1934/1, 1938/2, 1931/1, 1938/1 स्थित ग्राम जगन्नाथपुरी, निकट टी0पी0 नगर मेरठ दिनांक 06.11.2017 को रू0 26,50,000/– में श्रीमती इन्दुबाला एवं श्रीमती शशिबाला से क्रय की थी। उक्त क्रय की गयी भूमि पर ही पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निर्माण किया गया और उक्त भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व की है, इसलिए प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने का कोई औचित्य नहीं था। फिर भी पुनरीक्षणकर्ता नियमानुसार शुल्क जमा कर प्रश्नगत निर्माण को शमन कराने हेतु सहमत है। जबकि प्राधिकरण का मत है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्राधिकरण

की बिना अनुमति से उक्त खसरा नं0 पर बिना मानचित्र स्वीकृत करायें अवैध रूप से निर्माण किया गया है। उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। उक्त अवैध निर्माण पार्क की भूमि पर है। इसलिए पुनरीक्षणकर्ता का शमन मानचित्र भी निरस्त कर दिया गया। अतः जोनल अधिकारी जोन–सी, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2022 नियमानुसार पारित किया गया है।

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत के पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के प्राविधानों के अनुसार पार्क की जमीन पर मानचित्र स्वीकृत भी नहीं किया जा सकता है। शमन प्रार्थना पत्र भी निरस्त है। इसलिए जोनल अधिकारी जोन–सी, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2022 में हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्ता के पत्र दिनांक 16.08.2021 द्वारा योजित पुनरीक्षणवाद स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनरीक्षणकर्ता द्वारा योजित पुनरीक्षणवाद निरस्त कर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

24/5/23
(नीरजा कुरील)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2. श्री राहुल छाबड़ा व वरूण छाबड़ा पुत्रगण लक्ष्मण दास छाबड़ा, निवासी 39/3–सी उमेश विहार कालोनी, टी0पी0 नगर, मेरठ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
24/5/23
(नीरजा कुरील)
विशेष सचिव।

पृष्ठ– 5/5

Neutral Citation No. - 2023:AHC:127063 Annexure 11

Court No. - 72

Case :- WRIT - C No. - 20295 of 2023

Petitioner :- Rahul Chhabra And Another
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Shreya Gupta,Ravi Anand Agarwal
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shiv Prakash Gupta

Hon'ble Kshitij Shailendra,J.

1.Supplementary affidavit filed today is taken on record.

2. The petitioners purchased a land in the year 2019 from one Kapil Maheshwari, who had purchased the same from one Indu Bala alias Indrabala and others in the year 2017. The extent of land purchased was covered by Khasra No. 1938/1, 1938/2, 1934/1 and 1931/1, situated at Jagannathpuri, District Meerut.

3. A demolition order was passed on 04.11.2020 on the ground that despite notice issued to the petitioners under section 27 of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973, they have not responded and, therefore, illegal constructions raised by them are liable to be demolished.

4. The petitioners challenged the order dated 04.11.2020 before the Commissioner by filing an appeal under section 27 (2) of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973. The appeal was allowed in part by the Commissioner by order dated 07.04.2021, whereby the demolition order dated 04.11.2020 was set aside and the Vice Chairman of the Development Authority was directed to examine the compounding map of the petitioners and dispose of the matter of compounding within a period of two months.

5. It is contended that the application for compounding of construction was already there since 25.11.2020 and even then, the petitioners filed a fresh application on 16.12.2021 requesting compounding of constructions. In the meantime, a fresh order of demolition was passed on 15.03.2022 by placing reliance upon the notices issued in 2019 and 2020 only.

6. The submission is that although, pursuant to the same notices, a demolition order was already passed on 04.11.2020, which was already set aside by the appellate authority, i.e. Commissioner on 07.04.2021, the demolition order dated 15.03.2022 was unsustainable.

7. The petitioners challenged the order dated 15.03.2022 in appeal before the Commissioner, who, by order dated 02.05.2022 dismissed the appeal on the ground that the petitioners' constructions stand over the land of park and, therefore, the compounding is not permissible.

8. The petitioners filed a revision before the State Government under section 41 of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973, which has also been dismissed by order dated 24.05.2023.

9. Shri Rakesh Pandey, learned Senior Advocate assisted by Ms. Shreya Gupta, learned counsel for the petitioners submits that once demolition order was set aside by the Commissioner on 07.04.2021 and the compounding plea was rejected on the ground that the constructions of the petitioners exist on the land of park, before rejecting the application for compounding on the ground that the petitioners' property stands on land of park, the petitioners should have been provided an opportunity to address the authorities on this issue and there had to be a clarity on the basis of

record that the petitioners' constructions actually stand on the ... of the park.

10. It is further contended that insofar as existence of park is concerned, there is no such record available with the Development Authority as informed by the Chief Town Planner under the Right to Information Act through communication dated 21.02.2... which speaks that the layout plan was not available on record in the Development Authority.

11. Further submission is that the land changed hands from one person to another in due course of time and the petitioners are the last transferees and there is nothing on record to indicate that the petitioners' constructions stand over the land of park.

12. Per contra, Shri J.N. Maurya, learned counsel representing the respondent-Development Authority as well as learned Standing Counsel have jointly argued that the State Government has recorded a clear finding that the petitioners raised constructions **without getting their map sanctioned.** They further point out that in the orders impugned, reference of another order dated 07.02.2022 was made by the Authorities, which was an order, whereby an application for compounding was rejected by the Authority on 31.01.2022 and the same was informed to the petitioners by order dated 07.02.2022. It is further argued that against the order dated 07.02.2022, the petitioners filed Writ C No. 9629 of 2022 (Rahul Chhabra and another vs State of U.P. and 4 others), which was disposed of by the Division Bench of this Court by order dated 11.04.2022 taking into consideration the submission made by the petitioners to the effect that against the order dated 07.02.2022, remedy of appeal was available under the Act of 1973 and the petitioners were permitted to avail that remedy. It is fu...

argued that the petitioners never filed an appeal against the order dated 07.02.2022 and, therefore, the chapter of compounding is over.

13. Having heard the learned counsel for the parties, I find that insofar as the demolition is concerned, the first order of demolition dated 15.03.2022 is unsustainable as it was based upon the proceedings prior to 04.11.2020, on which date a fresh order of demolition order passed, which was already set aside by the Commissioner by order dated 07.04.2021.

14. Insofar as the subsequent orders dated 02.05.2022 and 24.05.2023, respectively passed by the Commissioner and the State Government are concerned, the same, though record the aspect that compounding is not permissible as the constructions of the petitioners exist on the land of park, I find that no sufficient opportunity was provided to the petitioners to establish that their constructions do not stand over the land of park.

15. However, there is an **important aspect** of this matter that is to say that the finding has been recorded by the State Government also to the effect that the constructions were raised by the petitioners **without getting their map sanctioned**. Learned Senior Advocate has also **admitted this fact** that no map was ever got sanctioned by the petitioners.

16. In view of the material placed before this Court and the arguments advanced, I find that compounding issue is required to be dealt with afresh after providing full opportunity of hearing to the petitioners and after serving a copy of layout plan upon them, inasmuch as the stand of the Development Authority is that earlier information under the Right to Information Act was based upon

the record at that time and as on today, layout plan is available, which forms part of the record of the Development Authority and was examined by the State Government. Insofar as the demolition aspect is concerned, certainly it is also dependent upon the order which has to be passed on the compounding issue.

17. Having heard the learned counsel for the parties, I find that whether compounding is permissible or not permissible in the light of provisions of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973 read with concerned bye-laws is an issue to be examined by the Vice Chairman of the Development Authority as section 32 of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973 speaks of composition of offences and not compounding of illegal constructions. Even the bye-laws of 2010 annexed to the writ petition speak of composition of offences.

18. In view of above, the writ petition is **disposed** of in the following terms:

(i) The Vice Chairman of the respondent-Development Authority shall examine the issue of compounding of constructions, which have been admittedly raised **without getting the map sanctioned.**

(ii) The petitioners shall be provided a copy of layout plan by the Development Authority on their application within a period of two weeks from today.

(iii) The petitioners shall file detailed statement of their case in support of plea of compounding before the Development Authority on or before 10th of July, 2023.

(iv) The Vice Chairman of the Development Authority shall decide the compounding aspect giving personal hearing in the matter

or before 15th of August, 2023, in accordance with the bye-laws and U.P. Urban Planning & Development Act, 1973

(v) Till the fresh order is passed by the Vice Chairman of the Development Authority, the constructions of the petitioners shall not be demolished.

Order Date :- 16.6.2023
Sazia

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 81/19 /प्रवर्तन खण्ड जोन–सी/23 दिनांक 01/07/2023

सेवा में,

श्री राहुल छाबड़ा,
निवासी–शीतल रेस्टोरेन्ट,
व होटल बागपत रोड,
मेरठ।

विषयः– **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के क्रम में शमन मानचित्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सी संख्या 20295/2023 राहुल छाबड़ा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 16.06.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

In View of above, the writ petition is disposed of in the following terms:-

(i) The Vice Chairman of the respondent-Development Authority shall examine the issue of compounding of constructions, which have been admittedly raised without getting the map sanctioned.

(ii) The petitioners shall be provided a copy of layout plan by the Development Authority on their application within a period of two weeks from today.

(iii) The petitioners shall file detailed statement of their case in support of plea of compounding before the Development Authority on or before 10th of July, 2023.

(iv) The Vice Chairman of the Development Authority shall decide the compounding aspect giving personal hearing in the matter on or before 15th of August, 2023, in accordance with the bye-laws and U.P. Urban Planning & Development Act, 1973

(v) Till the fresh order is passed by the Vice Chairman of the Development Authority, the constructions of the petitioners shall not be demolished.

उक्त बिन्दु (ii) के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आपको प्राधिकरण में शमन आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया है, परन्तु आपके द्वारा अद्यतन कोई शमन आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दिये गये आदेशों के अनुसार शमन आवेदन साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

01/07/23

जोनल अधिकारी जोन–सी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

5/7/23

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन–सी/23 दिनांक 25/07/23

सेवा मे,

श्री राहुल छाबड़ा,
निवासी–शीतल रेस्टोरेन्ट,
व होटल बागपत रोड,
मेरठ।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के क्रम में शमन मानचित्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सी संख्या 20295/2023 राहुल छाबड़ा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 16.06.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

In View of above, the writ petition is disposed of in the following terms:-

(i) The Vice Chairman of the respondent-Development Authority shall examine the issue of compounding of constructions, which have been admittedly raised without getting the map sanctioned.

(ii) The petitioners shall be provided a copy of layout plan by the Development Authority on their application within a period of two weeks from today.

(iii) The petitioners shall file detailed statement of their case in support of plea of compounding before the Development Authority on or before 10th of July, 2023.

(iv) The Vice Chairman of the Development Authority shall decide the compounding aspect giving personal hearing in the matter on or before 15th of August, 2023, in accordance with the bye-laws and U.P. Urban Planning & Development Act, 1973

(v) Till the fresh order is passed by the Vice Chairman of the Development Authority, the constructions of the petitioners shall not be demolished.

उक्त बिन्दु (ii) के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आपको प्राधिकरण में शमन आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या 81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन–सी/23 दिनांक 01.07.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, परन्तु आपके द्वारा अद्यतन कोई शमन आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दिये गये आदेशों के अनुसार शमन आवेदन साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा आपके निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेदार होगें।

प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Annexure-(12)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रकरण संख्या–81/19 जोन–सी 4 दिनांक 19.09.2024

ध्वस्तीकरण आदेश

श्री राहुल छाबड़ा पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा व श्री वरूण छाबड़ा पुत्र श्री लक्ष्मणदास छाबड़ा द्वारा प्राईवेट नं0–03, खसरा संख्या 1938/1, 1938/2, 1934/1मि0 व 1931/1, कस्बा मेरठ जगन्नाथपुरी, मेरठ पर लगभग 143.90 वर्ग मी0 में पार्क भूमि/सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके आवासीय/व्यवसायिक निर्माण किया गया है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 04.11.2020 व 15.03.2022 पारित किये गये। श्री राहुल छाबडा व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद संख्या 20295/2023 श्री राहुल छाबडा बनाम राज्य सरकार व अन्य योजित किया गया, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सम्यक सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 16.06.2023 पारित किये गये। पारित आदेशों के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

In View of above, the writ petition is disposed of in the following terms:-

(i) The Vice Chairman of the respondent-Development Authority shall examine the issue of compounding of constructions, which have been admittedly raised without getting the map sanctioned.

(ii) The petitioners shall be provided a copy of layout plan by the Development Authority on their application within a period of two weeks from today.

(iii) The petitioners shall file detailed statement of their case in support of plea of compounding before the Development Authority on or before 10th of July, 2023.

(iv) The Vice Chairman of the Development Authority shall decide the compounding aspect giving personal hearing in the matter on or before 15th of August, 2023, in accordance with the bye-laws and U.P. Urban Planning & Development Act, 1973

(v) Till the fresh order is passed by the Vice Chairman of the Development Authority, the constructions of the petitioners shall not be demolished.

उपरोक्त आदेशों के बिन्दु संख्या (ii) के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्री राहुल छाबडा को प्राधिकरण में शमन आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या 81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन–सी/23 दिनांक 01.07.2023 व 81/19/प्रवर्तन खण्ड जोन–सी–4/23 दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में शमन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु श्री राहुल छाबडा द्वारा अद्यतन कोई शमन आवेदन प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः आपको उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27(1) के अन्तर्गत आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाकर इस कार्यालय को सूचित कर दें, अन्यथा उक्त अवैध निर्माण कार्य को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा बिना आपको सूचित किये निर्धारित अवधि के पश्चात् ध्वस्त करा दिया जायेगा और इस पर होने वाला व्यय आपसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

19/9/24

प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मारम्भो न सिध्यति

पत्रांक :- MeDA/24-25/E/5863-1

दिनांक :- 03/01/2025

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

सेवा में:

पुलिस क्षेत्राधिकारी
थाना टी0पी0 नगर मेरठ।

विषयः-थाना टी0पी0 नगर क्षेत्रान्तर्गत श्री राहुल छाबडा पुत्र श्री लक्ष्मण दास छाबडा व श्री वरूण छाबडा द्वारा प्राईवेट नं0-03, खसरा सख्या-1938/1, 1938/2, 1934/1मि0 व 1931/1 कस्बा मेरठ जगन्नाथपुरी मेरठ पर पार्क/सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके आवासीय/व्यवसायिक निर्माण को ध्वस्त किये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में।

महोदयः

कृपया अवगत कराना है कि थाना टी0पी0 नगर क्षेत्रान्तर्गत श्री राहुल छाबडा पुत्र श्री लक्ष्मण दास छाबडा व श्री वरूण छाबडा द्वारा प्राईवेट नं0-03, खसरा सख्या-1938/1, 1938/2, 1934/1मि0 व 1931/1 कस्बा मेरठ जगन्नाथपुरी मेरठ पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग-143.90 वर्ग मी0 में पार्क/सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके आवासीय/व्यवसायिक निर्माण किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26, 27, 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्माणकर्ता को दो सप्ताह के अन्दर स्थल से सम्बन्धित शमन आवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया था परन्तु श्री राहुल छाबडा द्वारा शमन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.09.2024 को प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है, जिसके ध्वस्तीकरण हेतु **दिनांक 04.01.205** की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत क्षेत्र में अनाधिकृत विकास कार्य के ध्वस्तीकरण के क्रियान्वयन हेतु **दिनांक 04.01.205** को प्रातः 10.30 बजे थाना टी0पी0 मेरठ में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से पूर्ण करायी जा सकें।

प्रतिलिपिः-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवालोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी नगर को नियत तिथि पर मजिस्ट्रेट नामित करने हेतु।
3. थानाध्यक्ष टी0पी0 नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ध्वस्तीकरण हेतु नियत तिथि पर प्रवर्तन अनुभाग के उप-प्रभारी/कर्मचारियों को पर्याप्त सख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Arpit Yadav
प्रवर्तन अधिकारी

Digitally Signed
03/01/2025 07:00 PM

Annexure -(13)

GPS Map Camera
Meerut, Uttar Pradesh, India
32, Lajpat Rai Marg, New Punjabi Pura, Beripura, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.965195° Long 77.683666°
04/01/25 03:39 PM GMT +05:30
Google

JCB
Tipura Rd
Google
Meerut, Uttar Pradesh, India
XM8M+4CF, Jagannath Puri Rd, New Punjabi Pura, Beripura, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.965272° Long 77.683707°
04/01/25 03:47:21 PM

JCB
GPS Map Camera
Meerut, Uttar Pradesh, India
32, Lajpat Rai Marg, New Punjabi Pura, Beripura, Meerut,
Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.965125° Long 77.683703°
04/01/25 03:40 PM GMT +05:30
Google

Maruti Suzuki
A (TR Sawhney...
Google
Meerut, Uttar Pradesh, India
32, Lajpat Rai Marg, New Punjabi Pura, Beripura, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.965171° Long 77.683617°
04/01/25 03:59:59 PM

Annexure-(14)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन,

कृपया आपके आदेशों के क्रम में मंगतपुरी कालोनी दिल्ली रोड, मेरठ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण प्रवर्तन खण्ड के कर्मचारी उपस्थित रहें। प्रश्नगत कालोनी मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा की धारा 14 के अन्तर्गत स्वीकृत है। उक्त कालोनी के तलपट मानचित्र संख्या 146 दिनांक 02.05.1989 के सापेक्ष स्थल पर ब्लॉक डी के अन्तर्गत पार्क हेतु आरक्षित भूमि का निरीक्षण किया गया। कालोनी में पार्क की भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थाई अतिक्रमण नही पाया गया एवं कालोनी निवासियों द्वारा पार्क का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में उक्त कालोनी वासियों द्वारा कोई शिकायत नही की गयी।

आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित।

उप–प्रभारी प्रवर्तन
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

GPS Map Camera
Meerut, Uttar Pradesh, India
Maax99 Brooms C-37, Mangat Puram, Delhi Rd, Surya
Palace Colony, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.951775° Long 77.680647°
04/01/25 12:41 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Meerut, Uttar Pradesh, India
Maax99 Brooms C-37, Mangat Puram, Delhi Rd, Surya
Palace Colony, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.951754° Long 77.680634°
04/01/25 12:41 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Meerut, Uttar Pradesh, India
Maax99 Brooms C-37, Mangat Puram, Delhi Rd, Surya
Palace Colony, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.951881° Long 77.680945°
04/01/25 12:42 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Meerut, Uttar Pradesh, India
Maax99 Brooms C-37, Mangat Puram, Delhi Rd, Surya
Palace Colony, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.951966° Long 77.680736°
04/01/25 12:42 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Meerut, Uttar Pradesh, India
Maax99 Brooms C-37, Mangat Puram, Delhi Rd, Surya
Palace Colony, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India
Lat 28.951835° Long 77.680938°
04/01/25 12:45 PM GMT +05:30
Google

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25 0558861

FORM No.19

VAKALAT NAMA

In the Court NATIONAL GREEN TRIBUNAL NEW DELHI

Sult/Misc/Case/Civil Appeal/Execution Case.

O.A. No. 1096 of 2024 Fixed 08.01.2025

SHANDRA SHEKHAR GUPTA Plaintiff/Appellcant/Appliant/D.H.

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

Defendent Respondent/Opp. Party/J.D.

Vakalat Name of Plaintiff/Appellant/D.H.

Defendent/Rerpondent/Opp Party/J.D.

In the case noted above Shri/Smt.

each of Sarvshri SRINIVAS VISHEN (D/2070/2012)

is hereby appointed as councel, to appear plead, and on behalf of the under signed in any manner he think it proper , either himself of through and other Advocate and in particular to do the following namely to receive and process of court (Incluing and notice from any appellate or revisional court) to file applications petitions, or plening, produce or receive back and documents compromise the proceeding to refer any matter to arbitration, to deposite or withdraw any money to execute decree or to certify payment and/or receivee and money due under shch decree or order.

The undersigned shall be bound by all whatsoever may be done in the aforesaid case (Including any appeal or revision theret from) for and on behalf of the under signed by any to the counsel

Signature [signature]	Signature [signature]
Name and Address	सचिव
Date	मेरठ विकास प्राधिकरण
	मेरठ
Attesting Witness	
Name in full	
Address	
Date	

Accepted/Accepted on the strength of the Signature of the attesting withness